राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 295/2023

भंवर सिंह (कर्मचारी आई.डी.– आरजेजेपी202018028002)

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.01.2023
आदेश की दिनांक : 19.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी वर्तमान में रा.उ.प्रा.वि. बसेड़ी, झोटवाड़ा, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी ने अपनी अपील यह तथ्य अंकित किये हैं कि आदेश दिनांक 28.10.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण रा.उ.प्रा.वि. बसेड़ी, झोटवाड़ा, जयपुर से रा.उ.प्रा.वि. नौरंगपुरा, मौजमाबाद जयपुर में स्थानांतरण किया है। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 1030/2022 (6150/2022) प्रस्तुत की है। जिसमें माननीय अधिकरण ने दिनांक 22.11.2022 को स्थगन आदेश जारी किया। जिसकी पालना में अपीलार्थी यथावत् रा.उ.प्रा.वि. बसेड़ी, झोटवाड़ा, जयपुर में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत है। परंतु प्रत्यर्थी सं. 2 ने नॉन–एप्लीकेशन माइंड से आलौच्य आदेश दिनांक 12.01.2023 के द्वारा अपीलार्थी को रा.उ.प्रा.वि. बसेड़ी, झोटवाड़ा, जयपुर से रा.उ.प्रा.वि. नौरंगपुरा, मौजमाबाद, जयपुर में स्थानांतरणाधीन मानते हुए अपीलार्थी का स्थानांतरण रा.उ.प्रा.वि. खूंटेटा कलां, रामगढ जिला अलवर में स्थानांतरण किया है। जो अवैध व अनुचित है तथा विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी ने आलौच्य आदेश दिनांक 12.01.2023 की क्रियान्विति को स्थगित किये जाने की प्रार्थना की है।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन रा.उ.प्रा.वि. बसेड़ी, झोटवाड़ा, जयपुर में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

7 हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। पूर्व में अपीलार्थी को स्थानांतरण आदेश दिनांक 28.10.2022 के द्वारा रा.उ.प्रा.वि. बसेड़ी, झोटवाड़ा, जयपुर से रा.उ.प्रा.वि. नौरंगपुरा, किया गया था, परंतु अपीलार्थी ने उक्त स्थानांतरण आदेश की पालना में नौरंगपुरा में पद ग्रहण नहीं किया। ऐसे में अपीलाथी को स्थानांतरणाधीन होना दर्शाये जाने में कोई त्रुटि नहीं है।

8 उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)